2024 का विधेयक संख्या................

दिल्ली माल एवं सेवा कर

(तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में यथा प्रस्तुत)

Atishi
Chief Minister

दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** :– (i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाए।

(ii) अधिनियम की धारा 2 से 5 उस तारीख को लागू होगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तारीख नियुक्त की जा सकती है।

2. **धारा 2 का संशोधनः–** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके पश्चात् दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) में, धारा 2 में, –

(क) खंड (80) के बाद, निम्नलिखित खंडों को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थातः –

'(80क) ''ऑनलाइन गेमिंग'' का अभिप्रायइंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की पेशकश है और इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी शामिल है;

(80ख) ''ऑनलाइन मनी गेमिंग'' का अभिप्राय है ऑनलाइन गेमिंग जिसमें खिलाड़ी खेल, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य गतिविधि या प्रक्रियासहित किसी भी इवेंट में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे या पैसे के मूल्य केजीतने की चाह से वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सहित पैसे या पैसे के मूल्य का भुगतान या जमा करता है, चाहे उसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं और क्या यह उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है या अन्यथा;';

(ख) खंड (102) के बाद, निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थातः –

'(102क) ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' का अभिप्राय है इसमें या इसके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावा–

(i) सट्टेबाजी;

(ii) कैसिनो;

Atishi
Chief Minister

(iii) जुआ;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लॉटरी; या

(vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;';

(ग) खंड (105) में, निम्नलिखित प्रावधान को अंत में सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात : – "बशर्ते कि एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो मालिक है, संचालित करता है या ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है, उसे ऐसे कार्रवाई योग्य दावों का आपूर्तिकर्ता माना जाएगा, चाहे ऐसे कार्रवाई योग्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से आपूर्ति किए गए हों और ऐसी आपूर्ति के लिए वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे या पैसे के मूल्य पर विचार किया गया हो। कार्रवाई योग्य दावों का भुगतान या उसे या उसके माध्यम से सूचित किया जाता है या किसी भी तरीके से उसके निपटान में रखा जाता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के ऐसे आपूर्तिकर्ता पर लागू होंगे, यदि वह ऐसे कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति संबंध में कर का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी है;";

(घ) खंड (117) के बाद, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थातः –

'(117क) "वर्चुअल डिजिटल संपत्ति" का वही अभिप्राय होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में दिया गया है;

3. **धारा 24 का संशोधनः–** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 24 में––

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द "और" हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थातः –

"(xi) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करता है; और"।

4. **अनुसूची–III का संशोधनः–**

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में, पैराग्राफ 6 में, "लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ" शब्दों के स्थान पर "निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. **अस्थायी प्रावधानः–**

इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग को निषेध करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

Atishi
Chief Minister

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की राज्यान्तरिक आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं और 51वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड और ऑनलाइन गेमिंग की कर योग्यता से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न संघों के प्रतिवेदन पर विचार किया और कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की करदेयता के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिये केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की। **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 30)** की राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2023 और 51वीं बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2023 में की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और दिल्ली माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017 (2017 का 3) के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 को जहां भी आवश्यक हो, राज्य विशिष्ट आशोधन करने के बाद राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

3. प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा (तृतीय संशोधन) कर विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

i. ''ऑनलाइन गेमिंग'', ''ऑनलाइन मनी गेमिंग'' निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' और ''वर्चुअल डिजिटल संपत्ति'' अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए नए खंड (80क), (80ख), (102क) और (117क) को शामिल करके दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन करना।

''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे'' की आपूर्ति के मामले में ''आपूर्तिकर्ता'' के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए ''आपूर्तिकर्ता'' की परिभाषा में खंड (105) के बाद एक परंतुक सम्मिलित करना।

ii. भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने के लिए व्यक्ति के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने के लिए नए खंड (xia) को शामिल करके दिल्ली माल एवं सेवा कर, 2017 की धारा 24 में संशोधन करना और खंड (xi) के अंत में आए ''और'' शब्द को भी हटाना शामिल है।

Atishi
Chief Minister

iii. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची–III में संशोधन करके अधिनियम की अनुसूची III के पैराग्राफ 6 में "लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ" शब्दों के स्थान पर "निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा" को प्रतिस्थापित करना, ताकि कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग में अथवा के द्वारा शामिल कार्रवाई योग्य दावों की कर देयता के बारे में स्पष्टता प्रदान की जा सके।

iv. यह स्पष्ट करने के लिए अस्थायी प्रावधान कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग को निषेध करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयोजन रखता है।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Atishi
Chief Minister

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 में दिल्ली की समेकित निधि से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Atishi
Chief Minister

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किसी भी पदाधिकारी के पक्ष में शक्ति के प्रत्यायोजन हेतु प्रावधान नहीं करता है।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Atishi
Chief Minister

खण्डों पर टिप्पणियाँ
(डीजीएसटी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 हेतु)

1. विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ का प्रावधान करता है।

2. विधेयक का खंड 2 ''ऑनलाइन गेमिंग'', ''ऑनलाइन मनी गेमिंग'', निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे" और "वर्चुअल डिजिटल संपत्ति"। अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 2 में खंड (80क), (80ख), (102क) और (117क) सम्मिलित करने का प्रयोजन रखता है"

   यह ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों'' की आपूर्ति के मामले में ''आपूर्तिकर्ता'' के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए 'आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा में एक प्रावधान शामिल करने का भी प्रयोजन रखता है।

3. विधेयक का खंड 3 भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने के लिए व्यक्ति के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने के लिए नए खंड (xia) को शामिल करके दिल्ली माल एवं सेवा कर, 2017 की धारा 24 में संशोधन करना और खंड (xi) के अंत में आए ''और'' शब्द को भी हटाने का प्रयोजन रखता है।

4. विधेयक का खंड 4 का प्रयोजन दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची–III में संशोधन करके अधिनियम की अनुसूची III के पैराग्राफ 6 में ''लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ'' शब्दों के स्थान पर ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' को प्रतिस्थापित करना है, ताकि कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग में अथवा के द्वारा शामिल कार्रवाई योग्य दावों की कर देयता के बारे में स्पष्टता प्रदान की जा सके।

5. विधेयक के खंड 5 में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जो सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़ को निषेध करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने का प्रावधान करते हैं।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Atishi
Chief Minister